फा.सं. 13011/2/2020-सीबीए2-भाग (2)
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2020

आदेश

विषय: कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 और खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी की कार्यपद्धति।

अधोहस्ताक्षरी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 8(5) के साथ पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) और 8(3) का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने कोयले की बिक्री के लिए संगत अधिनियम के तहत अभिनिर्धारित कोयला खानों / ब्लॉकों की नीलामी की कार्यपद्धति को अनुमोदित किया है जिसका उल्लेख पैरा 2 में नीचे दिया गया है:

2.1 कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी की कार्यपद्धति और अन्य शर्तें निम्नानुसार है:

2.1.1 प्रयोज्यता: यह कार्यपद्धति पूर्ण अन्वेषित कोयला ब्लॉकों / खानों (कोयला संसाधन आकलन, 2017 के लिए संशोधित भारतीय मानक प्रक्रिया के अनुसार जी-1 अन्वेषण चरण में वर्गीकृत) और सीएमएसपी अधिनियम एवं एमएमडीआर अधिनियम के तहत कोयले की बिक्री के लिए आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों / खानों (जी-2 या जी-3 अन्वेषण चरण में वर्गीकृत) पर लागू होगी। कार्यपद्धति और अन्य शर्तें यथोचित परिवर्तन सहित लिग्नाइट ब्लॉकों पर भी लागू होगी।

2.1.2 बोली मानदंड: बोली मानदं पूर्ण अन्वेषित कोयला खानें (जी-1 अन्वेषण चरण में वर्गीकृत) और आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खानों (जी-2 या जी-3 अन्वेषण स्तर में वर्गीकृत) दोनों के लिए राजस्व शेयर होगा। नीलामी नीचले क्रम से शुरू होगी जहां बोलीदाता के लिए राजस्व शेयर % के लिए बोली लगाना अपेक्षित होगा जो राज्य सरकार को देय होगा। राजस्व शेयर का न्यूनतम राजस्व शेयर % 4% होगा। बोली में वृद्धि राजस्व शेयर के 10% होने तक 0.5% राजस्व शेयर के गुणकों में स्वीकृत की जाएगी और इसके बाद, बोली में वृद्धि 0.25% राजस्व शेयर के गुणकों में स्वीकृत की जाएगी। उन बोलीदाताओं को जिन्होंने बोली लगाने में अधिकतम राजस्व शेयर % दिया है, अधिमानित बोलीदाता घोषित किया जाएगा।

2.1.3 देय राजस्व शेयर:

(क) सफल बोलीदाता को मासिक आधार पर राजस्व शेयर का भुगतान करना होगा जिसका निर्धारण निम्नलिखित के परिणाम अनुसार होगा:

- (i) सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर (अंतिम बोली) %;
- (ii) कोयले की कुल मात्रा जिस पर माह के दौरान सांविधिक रॉयल्टी देय है; और
- (iii) अनुमानित मूल्य या वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, जहां

(क) 'अनुमानित मूल्य' से आशय उस तारीख, जिस पर रॉयल्टी देय होती है, सभी प्रासंगिक कोयला श्रेणियों के एनसीआई के उप-सूचकांक के साथ प्रतिनिधि मूल्य को समायोजित करने के बाद प्राप्त मूल्य से है, जहां 'प्रतिनिधि मूल्य' निम्नलिखित परिणाम के अनुसार है:-

(1) मूल वर्ष के भार (अनुमानित मूल्य, नीलामी मूल्य और आयातित मूल्य चैनलों के विभिन्न घटकों में कोयले की मात्रा), और

(2) निविदा जारी करने के समय इन घटकों के मूल्य, और

(ख) 'वास्तविक मूल्य' से आशय कोयले का बिक्री चालान मूल्य, करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित निवल सांविधिक देयताएं।

(ग) राजस्व शेयर के अतिरिक्त, करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित अन्य सांविधिक देयताएं।

2.1.4 कुछ कार्यकलापों के तहत राजस्व शेयरिंग मॉडल में प्रोत्साहन राशि:

सफल बोलीदाता को निम्नलिखित कार्यकलापों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी:

(क) शीघ्र उत्पादन:

(i) पूर्ण अन्वेषित ब्लॉकों के मामले में, उत्पादन की अनुसूचित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए, निविदा दस्तावेज में दी गई उत्पादन अनुसूचित के अनुसार उत्पादन की अनुसूचित तारीख तक, सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(ii) आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉकों के मामले में, अनुमोदित खनन योजना में दी गई उत्पादन की अनुसूचित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए, उत्पादन की अनुसूचित तारीख तक, सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी।

(iii) करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित सांविधिक देयताओं का भुगतान कानून के अनुसार किया जाएगा। उत्पादन शुरू करने के लिए अपेक्षित लागू कानूनों के तहत कोई भी अनुमोदन आदि प्राप्त करने के लिए सफल बोलीदाता को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(ख) कोयले का गैसीकरण या द्रवीकरण: यदि सफल बोलीदाता कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उत्पादित कोयले की खपत अपने संयंत्रों या अपने धारित संयंत्र, सहायक कंपनी, संबंधित संयंत्र, सहयोगी संयंत्र में करता है या कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए कोयले की बिक्री करता है, तो वार्षिक आधार पर गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत किए गए, बेचे गए कोयले या दोनों की कुल मात्रा पर सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत राजस्व शेयर % पर 20% की छूट की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो:

(i) गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए उस वर्ष अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कम से कम 10% अनुसूचित कोयला उत्पादन की खपत होगी या बेचा जाएगा;

(ii) गैसीकरण या द्रवीकरण के लिए खपत किए गए कोयले या बेचे गए कोयले या दोनों की मात्रा हेतु कोयला नियंत्रक के प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

(ग) सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर राजस्व शेयर संबंधी प्रोत्साहन राशि की समीक्षा और निर्धारण कर सकती है।

2.1.5 अग्रिम राशि:

(क) अग्रिम राशि की गणना कोयला खान के अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों के 0.25% मूल्य पर की जाएगी। अनुमानित भूवैज्ञानिक भंडारों का मूल्य निम्नलिखित के परिणाम के बराबर होगा:

(i) कोयला खान में भूवैज्ञानिक भंडारों की अनुमानित मात्रा, और

(ii) उपर्युक्त पैरा 2.1.3 (क) (iii) (क) में उल्लिखित कोयले की संगत श्रेणियों का प्रतिनिधि मूल्य।

तथापि, देय अग्रिम राशि उपर्युक्त विधि या नीचे दिए गए अधिकतम मूल्य के अनुसार, जो भी कम हो, वास्तविक गणना के अनुसार होगी:-

खान में भूवैज्ञानिक भंडार (मि.ट.)	अग्रिम राशि का अधिकतम मूल्य (करोड़ रु.)
200 तक	100
200 से अधिक	500

(ख) अधिकतम मूल्य की गणना प्रचलित बाजार शर्तों के अनुसार होती है और सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बाज़ारी शर्तों में पर्याप्त अधिक / कम बदलाव होने पर इसे संशोधित करने की संभावना होती है।

(ग) सफल बोलीदाता को देय राजस्व शेयर के संबंध में समायोजित अग्रिम राशि प्राप्त करने का विकल्प होगा बशर्ते अग्रिम राशि का ऐसा समायोजन वर्ष में देय 50% राजस्व शेयर से अधिक न हो।

(घ) अग्रिम राशि निविदा दस्तावेज में प्रदान की गई 4 समान किश्तों में सफल बोलीदाता द्वारा देय होगी।

2.1.6 कोयले की बिक्री / अथवा उपयोग

कोयला खान से कोयले की बिक्री और / अथवा उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सफल बोलीदाता सहयोगी कंपनियों और संबंधित पार्टियों को बिक्री, किसी भी उद्देश्य के लिए कोयले के उपयोग सहित परंतु कोयले की कैप्टिव खपत, गैसीकरण, द्रवीकरण और नियति के लिए असीमितता सहित सफल बोलीदाता द्वारा निर्णय लेने पर किसी भी मामले में कोयले को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2.1.7 कोयला उत्पादन में लचीलापन

(क) सफल बोलीदाता एक वर्ष में अनुमोदित खान योजना के अनुसार 65% अनुसूचित उत्पादन से कम कोयले का उत्पादन नहीं करेगा बशर्ते सफल बोलीदाता तीन वर्षों के किसी भी ब्लॉक में अनुमोदित खान योजना के अनुसार 75% अनुसूचित उत्पादन से कम कोयले का उत्पादन नहीं करेगा। तीन - वर्षीय ब्लॉक की गणना कोयला खान में उत्पादन की अनुसूचित शुरूआत के प्रथम वित्तीय वर्ष से की जाएगी।

(ख) एक वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन में कमी होने पर सरकार को देय राजस्व शेयर:

(i) वार्षिक कोयला उत्पादन किसी भी वित्तीय वर्ष के 65% अनुसूचित उत्पादन से कम होने पर, सफल बोलीदाता को राजस्व शेयर (उत्पादित और कम कोयले, दोनों के लिए) का भुगतान करना होगा ताकि भुगतान किया गया राजस्व शेयर उस वित्तीय वर्ष के लिए 65% अनुसूचित कोयला उत्पादन के बराबर हो।

(ii) ऐसे मामलों में, कम मात्रा (65% अनुसूचित कोयला उत्पादन कोयले की उस मात्रा से कम होगा जिस पर सांविधिक रॉयल्टी का भुगतान किया गया है) के लिए देय वार्षिक राजस्व शेयर की गणना अनुमानित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(ग) तीन वित्तीय वर्ष के एक ब्लॉक में कोयला उत्पादन में कमी के मामले में सरकार को देय राजस्व शेयर:

(i) इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों के एक ब्लॉक में कोयला उत्पादन के उस ब्लॉक के 75% अनुसूचित उत्पादन से कम होने पर, सफल बोलीदाता राजस्व शेयर (उत्पादित और कम कोयले, दोनों के लिए) का भुगतान करेगा ताकि भुगतान किया गया कुल राजस्व शेयर तीन वित्तीय वर्षों के उस ब्लॉक के 75% अनुसूचित कोयला उत्पादन के बराबर हो जाए।

(ii) ऐसे मामलों में, कम मात्रा (कोयले की मात्रा से कम तीन वर्षों का 75% अनुसूचित कोयला उत्पादन जिस पर तीन वर्षों में सांविधिक रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है) की गणना अनुमानित मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(घ) तथापि, करों, उगाहियों, रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ आदि सहित सांविधिक देयताएं लागू कानून के अनुसार देय होंगी।

2.1.8 कोल बेड मीथेन का दोहन

कोयला खान में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) मौजूद होने पर, सफल बोलीदाता खनन पट्टा क्षेत्र में मौजूद सीबीएम का वाणिज्यिक रूप से दोहन भी कर सकते हैं और संबंधित राज्य सरकार द्वारा सीबीएम खनन पट्टा प्रदान करने के बाद अपने तकनीकी अनुमोदन हेतु हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) से संपर्क करेंगे। कोयले के लिए देय मासिक राजस्व शेयर के अतिरिक्त, सफल बोलीदाता कोयला खान की नीलामी के दौरान इसके द्वारा उद्धृत इसी % राजस्व शेयर का भुगतान भी करेगा। सीबीएम के मूल्य पर आने के लिए अन्य तंत्र को प्रशासनिक मंत्रालय होते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी की गई नीति द्वारा अधिशासित किया जाएगा।

2.1.9 ब्लॉक को छोड़ना

आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉक के सफल बोलीदाता इन शर्तों को पूरा करने पर कोयला ब्लॉक को छोड़ने की अनुमति देगा।

2.1.10 पात्र मानदंड सहित नीलामी की अन्य निबंधन एवं शर्तों / कार्यरीतियों का निर्णय कोयला मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

2.1.11 सीएमएसपी अधिनियम के तहत कोयला खानों के आवंटन पर लागू मौजूदा सीसीईए अनुमोदित कार्यपद्धतियों को एमएमडीआर अधिनियम के तहत ब्लॉकों का आवंटन करने पर लागू किया जाएगा।

2.1.12 उत्पादन से संबंधित कोयला खानों या भंडारों या अन्य किसी मानदंड या इनके किसी भी संयोजन, जिन्हें एक कंपनी या इसकी सहयोगी कंपनी, धारित कंपनी या सहायक कंपनी को आवंटित किया जा सकता है, पर कोयले की बिक्री के लिए नीलामी के प्रथम दौर में कोई भी सीमा नहीं लगाई जाएगी। अध्ययनों के आधार पर, नीलामी के बाद के दौरों में उपयुक्त सीमा को सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति के निर्णय / सिफारिश के अनुसार लगाया जा सकता है।

2.1.13 कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की नीलामी के लिए दिनांक 27.02.2018 को सीसीईए की अनुमोदित कार्यपद्धति को इस प्रस्ताव में शामिल विस्तार-क्षेत्र को संशोधित किया जाएगा।

2.2 सभी संगत कोयला श्रेणियों के उप-सूचकांक सहित राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) को निम्नलिखित संशोधनों के साथ उच्च अधिकार विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार विकसित किया जाएगा:

I. एनसीआई की गणना द्विमासिक आधार पर की जाएगी।
II. दो भागों में कोकिंग कोल का विभाजन: स्टील ग्रेड, जिसमें कोकिंग कोल के आयातित घटक का मूल्य शामिल होगा और दूसरा वॉशरी ग्रेड (डब्ल्यू-1, 2, 3 और 4 को शामिल करते हुए), जिसमें कोई भी आयातित घटक नहीं होगा। शेष कोकिंग कोल अर्थात् डब्ल्यू-5 और डब्ल्यू-6 का संबंधित ग्रेड माना जा सकता है।
III. देय राजस्व शेयर: उपर्युक्त पैरा 2.1.3 में यथा-प्रस्तावित।

2.3 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, नीलामी के सफल दौरों की विविध निबंधन एवं शर्तों और साथ ही इस पैरा में संदर्भित दिनांक 28.05.2020 के का.ज्ञा. में विस्तृत खानों के प्रचालनरत पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने / सिफारिश करने के लिए दिनांक 28.05.2020 के समसंख्यक का.ज्ञा. द्वारा सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

2.4 कोकिंग कोल लिंकेज की समय-सीमा को बढ़ाना:

गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज को 30 वर्ष की अवधि तक की समय-सीमा के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(रिशान रिंताथियांग)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23384104

सेवा में,

(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय

(2) संयुक्त सचिव (बीपीपी), कोयला मंत्रालय: एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के संगत प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत कोयला खानों की नीलामी के संबंध में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए।

(3) निदेशक (सीएलडी), कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

1. माननीय कोयला मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव (कोयला) के पीएसओ
3. एएस (कोयला) के पीपीएस
4. जेएस (एमएन) के पीपीएस / जेएस (आरकेएस) के पीपीएस / जेएस (बीपीपी) के पीएस
5. डीएस (एनए) / डीएस (सीबीए-II) / डीएस (सीबीए-I)
6. एसटीडी, एनआईसी, कोयला मंत्री को .... मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।